यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल के माह 09/2009 से 11/2017 के लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी तथा श्री राजकुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.12.2017 से 21.12.2017 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-**I**

1). परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2). **(i).** इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः राजकीय महा वद्यालय की स्थापना वर्ष 2009 में हुई। यह महा वद्यालय जौनपुर ब्लाक के अन्य पछड़ा वर्ग में स्थित है। इस महा वद्यालय में निकटवर्ती लगभग 30 गाँव के वद्यार्थी उच्च शक्षा के अध्यतन हेतु प्रवेश लेते है। महा वद्यालय को 2017 में यू0जी0सी0 द्वारा 2 (f) की मान्यता प्राप्त हुई। महा वद्यालय में 76 प्रतिशत छात्राएं अध्यतनरत् है तथा महा वद्यालय का स्वयं का भवन निर्माणाधीन है। यह महा वद्यालय राजधानी देहरादून के 70 कमी0 दूर स्थित है।

ii). (अ). वगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्र सं	वत्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना **(01,03,06)**		आ ध क्य (+)	बचत (-)	गैर स्थापना		आ ध क्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय			आवंटन	व्यय		
1	201**4**-1**5**	शून्य	शून्य	**59.30**	**58.18**	-	**1.12**	**1.73**	**1.59**	-	**0.14**
2	201**5**-1**6**	शून्य	शून्य	**61.91**	**60.63**	-	**1.28**	**3.39**	**2.84**	-	**0.55**
3	201**6**-1**7**	शून्य	शून्य	**65.20**	**62.34**	-	**2.86**	**8.45**	**7.55**	-	**0.90**
4	**2017-18 (11/17)**	शून्य	शून्य	**56.85**	**48.98**	-	**7.87**	**3.83**	**2.26**	-	**1.57**

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के वगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति(आवंटन)	व वध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आ ध क्य (+)	बचत (-)
2014-15	--	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	**RUSA**	शून्य	**188.42**	--	**188.42**	**110.05**	-	**78.37**
2016-17	--	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18 (11/2017)	--	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (अनुदान संख्या 11 के अंतर्गत, निदेशक उच्च शक्षा निदेशक, हल्द्वानी) द्वारा कया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मि लत करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). स चव, उच्च शक्षा, उत्तराखंड, देहरादून

b). उच्च शक्षा निदेशालय, हल्द्वानी

c). उच्च शक्षा निदेशक, हल्द्वानी

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः वर्तमान लेखापरीक्षा 09.2009 से 11.2017 तक की अव ध को आच्छादित करते हुए कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल के लेखा-अ भलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2010, 02/2011, 01/2017 एवं 03/2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **01:- ₹ 15.63** लाख व्ययावर्तन कर परियोजना के उद्देश्यों को निष्प्रभावी करने का प्रकरण पाया जाना।

रूसा से आच्छादित राजकीय महा वद्यालय थत्यूड़ की पत्रावली की जाँच की गयी। जाँच में पाया गया क भारत सरकार द्वारा ₹ 199.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुये जारी दिशानिर्देशों के तहत नये निर्माण पर 35% के तुल्य ₹ 69.60 लाख, पुनरूद्धार/उच्चीकरण पर 35% के तुल्य ₹ 69.13 लाख तथा नई सु वधाओं पर 30% के तुल्य ₹ 60.00 लाख व्यय करने की सीमा निर्धारित की गयी तथा व र्णत बाते रूसा के अन्तर्गत केवल उन्ही मदों पर व्यय की जायेगा जो DPR में स्वीकृत की गयी है तथा नई सु वधाओं के अन्तर्गत प्रस्ता वत मदों में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन/संशोधन कया जाना अपे क्षत हो, तो केवल रूसा परियोजना निदेशालय के अनुमोदन के उपरांत ही वांछित परिवर्तन/संशोधन कया जाना था।

उपरोक्त दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य के परीक्षण में पाया गया क भारत सरकार द्वारा स्वीकृत स वल कार्यों में नये निर्माण तथा पुनरूद्धार/उच्चीकरण की चर्चा थी, परंतु शासनादेश सं0 XXIV(7)-47(2)/2015 दिनांक 05 नवम्बर 2015 के क्रम में स्वीकृत धनरा श ₹ 188.42 लाख के तहत स वल कार्य हेतु ₹ 125.03 लाख व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी, फलतः महा वद्यालय का वर्तमान में अपना भवन न होने के बावजूद दिशानिर्देशन के वरूद्ध (पुनरूद्धार /उच्चीकरण के संबंध में रूसा गाइडलाइन्स के तहत जिसका पूर्व में अपना भवन स्थित हो। नये निर्माण की रा श में पुनरूद्धार की भी रा श सम्मि लत करते हुये लेखापरीक्षा तक नये निर्माण की स्वीकृति रा श ₹ 69.60 लाख से ₹ 15.63 लाख अ धक व्यय अर्थात ₹ 85.23 लाख कम्प्यूटर सेन्टर के निर्माण पर व्यय के बावजूद कार्य अपूर्ण पाया गया।

व्ययावर्तन के संबंध में रूसा गाईडलाइन्स के तहत भारत सरकार से अनुमति वषयक पत्रावली लेखापरीक्षा में अनुपलब्ध पाया गया।

इस ओर इंगति कये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया क प्रश्नगत प्रकरण पर निर्णय वभाग द्वारा लया गया था। इस संबंध में लेखापरीक्षा में उठाये गये तथ्यों को वभाग को अग्रसारित कर संज्ञान में लाया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं हैं, भारत सरकार से बिना अनुमति प्राप्त कये पृथक मद में धनावंटन कर (जो अनुमन्य नहीं था) तथ्यों को बिना प्रकाश में लाये हुये गलत ढंग से व्ययावर्तन कर परियोजना के उद्देश्य को प्रभा वत कया गया।

अतः प्रकरण उच्चा धकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 02:- ₹ 24.85 लाख की अनिय मत क्रय।

शासनादेश सं0 413/XXIV(7)/2016-17(2) दिनांक 16/08/2016 के क्रम में रूसा योजनान्तर्गत राजकीय महा वद्यालय थत्यूड़ को नई सु वधाओं मद में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत रा श ₹ 25.00 लाख के सापेक्ष ₹ 24.85 का क्रय उपकरणों, क्रीड़ा सामग्री तथा कम्प्यूटर सहवर्ती उपकरणों एवं पुस्तको हेतु कया जाना पाया। जो वर्तमान में महा वद्यालय भवन निर्माणाधीन होने के कारण उक्त परियोजना उद्देश्य के सफल संचालन के लए साम ग्रयों का पूरी तरह क्रयाशील होना नहीं पाया गया।

रूसा निशानिर्देशन के अनुसार साम ग्रयों का क्रय उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के उपबंधों के तहत पूरी की जानी थी जिसके अनुसार गठित क्रय स मति में एक सदस्य अनिवार्य रूप से शा मल कया जाना चाहिए जिसकी अनदेखी लेखापरीक्षा में पाया गया। मार्केट सर्वे रिपोर्ट अनुपलब्ध पाया गया तथा नियमानुसार सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कया गया क अपे क्षत सामग्री वशिष्टताओं और गुणवत्ता वाली है, उसका मूल्य वर्तमान बाजार दर के अनुसार है और जिस आपूर्तिकर्ता की संस्तुति की गयी है, वह वश्वसनीय और प्रश्नगत सामग्री की आपूर्ति करने में सक्षम है। आगे पाया गया क क्रय की गयी साम ग्रयों पर बड़ी धनरा श व्यय की गयी, अतः प्रतिस्पर्धा दर प्राप्त करने के लए व्यापक परिचालन समाचार पत्रों में दी गयी वज्ञापन वषयक साक्ष्य भी अनुपलब्ध पाया गया। (नियम - 9,10,व 11)।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया क भ वष्य में प्रकरण की पुनरावृ त्त नहीं की जायेगी। महा वद्यालय का अपना भवन लगभग तैयार है। निकट भ वष्य में शफ्टिंग की कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी तथा क्रय की गयी सामग्री का उद्देश्य पूर्ण कर लया जायेगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, यदि प्रोक्योरमेंट रूल का पालन कया जाता तो वह शासकीय हित में मतव्ययी तथा गुणवत्तायुक्त होता तथा भवन निर्माण की प्रत्याशा में सामा ग्रयों का डंप करना गलत था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2: (ब)

प्रस्तर **03:-** छात्रनि ध खातो मे अर्जित ब्याज की धनरा श रु **73307**/- का अ क्रयाशील होना तथा धनरा श रु **4,22,264/-** का अनिय मत आहरण।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10.07.1986 के अंतर्गत महा वद्यालयो मे छात्रनि धयों के रख रखाव एवं उपयोग संबं धत नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है एवं इस प्रयोजन हेतु महा वद्यालयो मे छात्रनि धयाँ संचा लत कए जाने का प्रावधान कया गया था जिस पर प्राचार्य का पूर्ण नियंत्रण निर्धारित था। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार छात्र कोष से वकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लया जाएगा और यह रा श उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लए वसूल की गयी है एवं बिन्दु संख्या 06 के अनुसार यदि कन्ही कारणो से कसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की स मति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध स मति के अनुपोदरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत कसी अ धकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है ।

छात्र कल्याण नि ध नियमावली 2003 मे यह स्पष्ट उल्लेख है क The collection from students in the Nidhi and interest earned thereon shall be utilized to provide assistance under rule-6 *(objective of nidhi- provide financial assistance to student)* and also to meet establishment and other expenses necessary for administration of Nidhi."

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, थत्यूड, टिहरी गढ़वाल के छात्रनि धयों संबन्धित अ भलेखो की जांच के उपरान्त पाया गया क महा वद्यालय द्वारा व भन्न प्रकार की छात्रनि धयों का संचालन कया गया तथा सभी छात्रनि धयों हेतु प्रथक से बैंक खाते खोले गए है। महा वद्यालय द्वारा सभी प्रकार क छात्रनि धयों हेतु कुल 24 बैंक खाते खोले गए है, संबन्धित खातो क जांच के उपरान्त पाया गया महा वद्यालय द्वारा संचा लत बैंक खातो मे साल दर साल ब्याज क धनरा श अर्जित हो रही है। महा वद्यालय को कुल रु 73307/- क धनरा श ब्याज के रूप मे अर्जित हुई थी, जिसे महा वद्यालय द्वारा छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय नही कया गया है और न ही उक्त धनरा श को शासन को सम र्पत कए जाने हेतु कोई प्रयास कया गया है। आगे जांच मे पाया गया क महा वद्यालय द्वारा समय समय पर वगत वर्षो के दौरान कुल रु 4,22,264/- धनरा श का आहरण प्रयोजन के वपरीत कया गया। उक्त धनरा श से मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यो, अ ग्रमो, उपकरण क्रय हेतु , यात्रा व्यय, बैंक खाता खुलवाने हेतु, मानदेय भुगतान एवं अन्य व्यय कए गए थे जो शासनादेश के अनुसार अनुमन्य नही थे। संबन्धित छात्रनि धयों से निकाली गयी धनरा श/ अ ग्रम का समायोजन नही कया गया और न ही छात्रनि धयों से कए गए व्यय के संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा मे उपलब्ध कराये गए।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है क चूं क महा वद्यालय के पास शासकीय फंड की कमी होती है अतः कार्य क नित्यान्त आवश्यकता को द्ष्टिगत रखते हुये ऐसा कया गया , भ वष्य मे पुनरावृति से बचा जाएगा तथा शासन से बजट प्राप्त न होने के कारण समायोजन नही कया जा सका एवं अर्जित ब्याज संबन्धित आप त्त के संबंध मे इकाई ने बताया क छात्र कल्याणकारी कार्यो पर कोई व्यय नही कया गया तथा संबन्धित प्रकरण पर निदेशालय से दिशा निर्देश प्राप्त करने के पश्चात सूचना आख्या मे प्रे षत क जाएगी ।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्यो क छात्र नि धयो की धनरा श(ब्याज सहित) का उपयोग छात्र कल्याणकारी कार्यो हेतु कया जाना अनिवार्य था जिसे वभागीय उदा सनता के कारण, न केवल छात्र नि धयो का उपयोग छात्रों के कल्याणकारी कार्यो हेतु नही कया जा सका बल्कि रु 73307/- की अर्जित ब्याज की धनरा श वगत कई वर्षो से अ क्रयाशील अवस्था मे पड़ी हुई है तथा शासनादेश का उल्लंघन करते हुये प्रयोजन के वपरीत छत्रनि धयों से धनरा श रु 4,22,264/- का अनिय मत आहरण कया गया है।

अतः छात्रनि ध खातो मे अर्जित ब्याज की धनरा श रु **73307/-** का अ क्रयाशील होना तथा धनरा श रु **4,22,264/-** का अनिय मत आहरण का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग : 2-(ब)

प्रस्तर 04:- शासनादेश का उल्लंघन करते हुये कॉशनमनी रु **15,875/-** का अनिय मत आहरण तथा धनरा श रु **55,355/-** का अ क्रयाशील पाया जाना।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के अनुसार राजकीय महा वद्यालय मे छात्रों से ली जाने वाली कॉशनमनी/ प्रतिभूति शुल्क के रखरखाव एवं उपयोग संबन्धित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत है:-

1. यदि कोई छात्र महा वद्यालय छोडने के 03 वर्ष पश्चात तक अपनी काशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नही देता है तो यह रा श व्ययप्त (लेप्स) कर दी जाएगी।
2. छात्र कोषो के लए परामर्शदात्री स मति बनाई जाएगी जिसमे छात्रों का प्रतिनि धत्व 50 प्रतिशत होगा। यह स मति संबन्धित कोष के लए प्राप्त धनरा श के व्यय हेतु प्राचार्य को परामर्श देगी, जिसके अनुसार छात्र कोष का उपयोग कया जाएगा।
3. छात्र कोष से वकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लया जाएगा और यह रा श उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लए वसूल की गयी है।
4. यदि कन्ही कारणो से कसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की स मति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध स मति के अनुपोदरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत कसी अ धकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, थत्यूड, टिहरी गढ़वाल के कॉशनमनी/प्रतिभूति शुल्क संबन्धित अ भलेखो क जांच मे निम्न वसंगतिया/ अनिय मता पायी गयी।

प्रकरण-1 :- महा वद्यालय द्वारा वगत वर्षो मे छात्रों से ली जाने वाली प्रतिभूति स्वरूप काशनमनी की धनरा श बैंक खाता संख्या 2634029000492 मे जिसका अंतिम अवशेष रु 55,355/- पाया गया, वगत कई वर्षो मे छात्रों द्वारा वापस नही ली गयी थी और न ही इसकी मांग छात्रों द्वारा की गयी है जिस कारण उक्त धनरा श कई वर्षो से खातो मे अ क्रयाशील पड़ी हुई है।

प्रकरण-2:- कॉशनमनी खाता से महा वद्यालय द्वारा भन्न-भन्न प्रयोजन हेतु समय समय पर बिना स मति के प्रस्ताव पारित/ प्रबंधन स मति के अनुमोदनोपरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा के अनुमति प्राप्त कए बिना, धनरा श का आहरण कया गया है जिसका ववरण निम्नवत है:-

क्र॰स॰	आहरित धनरा श	दिनांक
1	14875	15.07.14
2	1000	17.04.11
योग	15,875/-	

उक्त ता लका से स्पष्ट है कॉशनमनी खाता से उक्त शासनादेश के वपरीत रु 15,875/- का आहरण कया गया था तथा अहरित धनरा श का समायोजन लेखापरीक्षा ति थ तक संबन्धित खाता मे नही कया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है क

प्रकरण-1:- छात्रों से कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ जिस कारण काशनमनी वापस नही की जा सकी तथा भ वष्य मे कॉशनमनी पंजिका का रखरखाव अपे क्षत सूचना के अनुरूप कया जाएगा ।

प्रकरण-2:- बजट के अभाव के कारण महा वद्यालय अति आवश्यक कार्यो के निष्पादन हेतु आहरण कया गया तथा शासन से बजट प्राप्त न होने के कारण समायोजन की कार्यवाही नही की गयी ।

अतः शासनादेश का उल्लंघन करते हुये कॉशनमनी रु 15,**875/-** का अनिय मत आहरण तथा धनरा श रु 55,**355/-** का अ क्रयाशील पाया जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**	**TAN**
शून्य				

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

अप्रस्तुत अ भलेखः शून्य

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

नाम	पदनाम	अव ध
डा0 सत्यपाल संह	कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल	14.08.2009 से 20.09.14 तक
डा0 के एल बिष्ट	कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल	21.09.2014 से 02.06.2017 तक
डा0 सतपाल संह साहनी	कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल	03.06.2017 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.